



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1937 (श०)

(सं० पटना 204) पटना, मंगलवार, 15 मार्च 2016

निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

14 मार्च 2016

सं० 10/रा. कमी-43/2015-**1416**—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-09 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बैंकों से गैर कृषि प्रयोजन हेतु लिए जाने वाले रु. 50,000 तक के ऋण/वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किए जाने वाले एकरारनामा दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी रु. 200 (दो सौ रुपए) मात्र अवधारित करते हैं।

02. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० के० पाठक,
सरकार के प्रधान सचिव।

14 मार्च 2016

सं० 10/रा. कमी-43/2015-**1416**—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० के० पाठक,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 14th March 2016

No. 10/Ra. Kami-43/2015-**1416**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act 1899 the Governor of Bihar is pleased to determine Rs. 200/- (Rupees two hundred) only as the stamp duty payable on Agreement deeds to be executed for obtaining loans/financial services upto Rs. 50,000/- for non-agriculture purposes.

02. It will come into force with immediate effect.

By the Order of the Governor of Bihar,

K. K. PATHAK,

Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 204-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>